Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal (Anganbari) No.- 41 /2020

Sanjo Kumari .....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील (आंगनबाड़ी) जिला पदाधिकारी, पूर्णियॉ द्वारा सेवा अपील सं0–03/2019 मे दिनांक–20.12.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध स–समय दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत गोडियर पूरब, वार्ड सं0–04, प्रखंड–रूपौली, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णिया अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–231 में सेविका पद के रिक्ति के विरूद्ध विज्ञापन प्रकाशित किया गया। प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध अपीलार्थी सहित कुल 08 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। दिनांक–06.10.2017 को आम सभा आयोजित की गई। आम सभा में प्रथम मेधा क्रम की अभ्यर्थी नूतन कुमारी भारती का चयन सेविका पद के लिए किया गया, किन्तु चयनित सेविका नूतन कुमारी का प्रमाण पत्र संदिग्ध पाये जाने के कारण उनके चयन को रद्द कर दिया गया। पुनः दिनांक–06.01.2018 को आम सभा आयोजित की गई। आयोजित आम सभा में द्वितीय मेधा क्रम की अभ्यर्थी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र अवैध रहने के कारण तृतीय मेधा क्रम की अभ्यर्थी पल्लवी भारती का चयन पर विचार किया गया। इसी क्रम में चतुर्थ क्रम की अभ्यर्थी संजो कुमारी के द्वारा पल्लवी भारती के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में पिता के जगह पति का नाम अंकित रहने के कारण एवं अन्य कारणों से आपत्ति किया गया। आपत्ति पर विचारोपरांत इनके प्रमाण पत्र को संदिग्ध मानते हुए इनका चयन नहीं किया गया। चयन समिति द्वारा अपीलार्थी संजो कुकारी का चयन किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी के नियुक्ति पत्र के विरूद्ध उत्तरवादी सं0–03 पल्लवी भारती द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष आपत्ति दर्ज किया	

Web Copy. Not Official.

		गया, जिसपर छानबीन के पश्चात उनके द्वारा दिनांक–26.12.2018 को	
		क्रमशः	
	लगातार 18.04.2023	आदेश जारी करते हुए अपीलार्थी को चयन मुक्त करते हुए पल्लवी भारती को चयनित करने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर इनके द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष आंगनबाड़ी अपील वाद सं0–03/2019 दायर किया गया, जिसपर सुनवाई करते हुए दिनांक– 20.12.2019 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 की अनदेखी एवं घोर उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से विद्वेषपूर्ण भावना से आदेश पारित किया गया है। चयनित सेविका पल्लवी भारती के संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से निर्गत प्रमाण पत्र में उनके पिता के नाम में प्रहलाद कुमार दर्शाया गया है जबकि उनके पिता का नाम अशोक साह है, जिसकी पुष्टि इनके जाति प्रमाण पत्र से किया जा सकता है। इस प्रकार पल्लवी भारती का शैक्षणिक प्रमाण पत्र पूर्णतः संदेहास्पद एवं अस्वीकार योग्य है। पल्लवी भारती ने सेविका पद पर विज्ञापन के बाद अपना नाम गलत तरीके से गोडियर वार्ड सं0–04 में अंकित करायी, जबकि इससे पूर्व इनका नाम वार्ड सं0–05 में था। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त कर न्यायोचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–03 पल्लवी भारती के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं सत्य है। अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष एवं आम सभा में सेविका चयन के समय शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र में पिता की जगह पति का नाम अंकित होने पर प्रमाण पत्र को संदिग्द्ध बताया गया था। वास्तविकता यह है कि लिपिकीय भूल के कारण संस्कृत बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में पति को पिता बना दिया गया, जबकि प्रवेश पत्र एवं पंजीयन पत्र में प्रहलाद कुमार को पति दर्शाया गया है। अपीलार्थी के द्वारा दिया गया कथन गलत है, क्योंकि इनके द्वारा भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर	

Web Copy. Not Official.

		अपना पक्ष रखा गया, जिसपर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा तर्कसंगत एवं न्यायसंगत विचार करते हुए विधिनुकूल आदेश पारित किया गया। इस बात का भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि आम सभा में क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 18.04.2023	सेविका/सहायिका चयन के समय चयन समिति के समक्ष बोर्ड से संबंधित मुद्दा नहीं उठाया गया था तथा उपीलार्थी के द्वारा नये तथ्य का समावेश कर न्यायिक आदेश को त्रुटिपूर्ण करने का अवैधानिक प्रयास किया गया है, जो कपिपय न्यायसंगत नहीं है। इस तथ्य का भी उल्लेख करना उचित होगा कि सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में विचारणीय नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गई है। प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी के अनुरोध पर मध्यस्थ (Intervenor) के रूप में नमता कुमारी द्वारा दिनांक–20.03.2023 को अपना प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। इनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह उत्तरवादी सं0–03, पल्लवी भारती के द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर का पूर्ण रूपेण समर्थन करती है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के अपीलवाद सं0–03/2019 के द्वारा दिनांक–20.12.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण वाद दायर करना नियमानुकूल नहीं है। क्योंकि सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में दायर पुनरीक्षण वाद विहित प्रावधानों के अनुसार खारिज होने योग्य है। संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश के आलोक में उत्तरवादी सं0–03 पल्लवी भारती सेविका तथा प्रस्तुत अपील वाद में मध्यस्थ आवेदिका नमता कुमारी, सहायिका के रूप में कार्य करती आ रही है। इसी बीच पल्लवी भारती की नियुक्ति शिक्षिका के पद पर हो गई है। जिसके कारण उनके द्वारा सेविका पद से त्यागपत्र दे दिया गया। तत्पश्चात वार्ड सं0–05 की सेविका अपर्णा कुमारी के प्रभार में केन्द्र चलाया जा रहा है तथा मध्यस्थ सहायिका के रूप में कार्य कर रही है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर के सभी तथ्यों पर न्याय संगत विचारोंपरांत प्रस्तुत सेवा अपील को खारिज करते हुए इनको सेविका के	

Web Copy. Not Official.

		पद पर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना की गई है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पत्रांक–679/जि0प्रो0, दिनांक–09.04.2021 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करते हुए दर्शाया गया है कि तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक–915/जि0प्रो0, दिनांक–05.07.2018 द्वारा श्रीमती पल्लवी क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 18.04.2023	भारती, पति–श्री प्रहलाद कुमार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को सत्यापन हेतु लिखा गया था। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक–673–स0 दिनांक–07.09.2018 से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में पल्लवी भारती का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को सही दर्शाया गया है। साथ ही, पल्लवी भारती द्वारा प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र में पल्लवी भारती द्वारा शादी के उपरांत ससुराल में रहकर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा निर्गत मध्यमा के प्रमाण पत्र में अभिभावक के तौर पर पति का नाम अंकित रहने का शपथ ली है। इस आधार पर इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र को अवैध नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–231 पर सेविका पद पर संजो कुमारी के अनियमित चयन को रद्द करते हुए प्रथम मेधा अंक की अभ्यर्थी पल्लवी भारती को सेविका पद पर चयन किया गया है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका चयन की प्रक्रिया 2017 में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 के प्रावधानानुसार शुरू की गई थी। मार्गदर्शिका 2016 के अनुसार चयन प्रक्रिया में अपील की सुनवाई जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता के स्तर से की जानी है तथा उनका आदेश अंतिम आदेश माना जायेगा। उक्त के आधार पर प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में वाद दायर कर सकते है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।	

Web Copy. Not Official.

		आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.